भगा-उ मुल सिंखिकार (सनु. 12-35)

मुल अधिकार की नैसार्गिक अधिकार कहाँ हैं। क्यों बि को जन्म के बाद मिल जागा हैं। मुल अधिकार को मैंग्नाकारा कहाँ हैं। इसे U.S.A के संविधान से लिया गया हैं।

अनुच्हेद 12 - मुल साबिकार की परिभाषा

अनुच्हेद 13 - शिद हमारे मुत सांचिकार की किसी दूसरे भुत अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मुल अधिकार पर रोक लगाया जा सक्ना है। (भल्पीकरण)

TREADS OF HE TEN IS THE HOUSE BLOOD TRUBE

* समता | समानता का अधिकार (अनु 14-18)
अनु चेह (14 -> विची के समझ समानता अर्थात कानुन के सामने सव समान है। यह व्यवस्था विद्रेन से त्नी गई है। जब कि कानुन के समान संरत्नण कि व्यवस्था अमेरिका क्षे जिह है।

राकिलिंक किए अहं कार राकिलिंक कि रिपिट (14)

अनुरहेद 15 -> जारी हार्म लिंग अन्मस्थान के भाषार पर सर्वजनिक स्थान (सरकारी स्थान) पर भेद भाव नहीं किया आयेगा

अनुच्देद 16 न लोक निर्वाचन (सरकारी नौंकरी की समानगा) अनमे पिछडे की के लिए कुइ समय झाएलण की चर्चा है।

अनुच्हेद ११ - अस्पृथ्यता [हुआ हुत का अन्त]

अनुरहेद 18 - अपाधियों का अंत (किन्तु शिला सुरहा तथा भारत रत्न पदम विग्रषण अल्पादी रख सकते हैं। विदेशी अपादि रखने के पुर्व शष्ट्रपत्री से अनुमती लैनी पद्मी हैं।

स्वरीयता का भिर्मिकार अनु । १९ — १९ वर्ष

अनुद्देद 19→(i) अभिव्यक्ति कि स्वर्तत्रता, वौलने की स्वर्तत्रता अण्डा कहराने , पुतला जलाने RII तथा प्रेस कि खर्तत्रता (ii) विना स्थियार सभा करने की स्वर्तत्रता

(गंग संगठन कमने कि स्वतंग्रा

(iv) विना रीक टोक चारी भीर शुमने कि स्वर्तप्रता

(v) भारत में किसी हैंग में वसने कि स्वतंत्रता

इसमें विद्धे को उन्हास के सम्मन आयम है।

(vi) सम्पर्न का भाष्टिकार भव ग्रह मुल भाष्टिकार मही रहा। बल्की कानुनी आधिकार हो ग्या। अ सम्प्रि के भाष्टिकार को ४४ वे सीविद्यान संगोबन हारा 1978 में मीबिक भाष्टिकार से हरा दिया ग्या। अव देले भानुन्हेद उ० (क) के तहत कानुनी आखिकार में रखा ग्या।

(१॥) व्यवसाय करने कि स्पतंत्रमा

अनुन्हेद 20 - इसमे तिन प्रकार कि खतँग्रा दी गई है। (i) एक गलती कि एक सजा

THE THE STATE OF THE PER SERVICE

3 PARTO (TES) THESE TE PARTOL

(11) शजा उस समय के कानुन के आह्यार पर दि जायेंगी न कि पहले या वाद के कानुन के आह्यार पर

(111) सजा के बाद भी वेंदी की संस्तृण दिया जाता है। भेरिट अनुरहेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को गायता दोशी करार नहीं कर देने हैं तब तक असे अनुपराद्यी जहीं माना जाता।

THE TELES TOPHE IS TO VI OF SE SECTION THE COMPANY

अनुच्देर 21 ने इसमें प्राण एवं देहिक स्वतंत्रमा है इसी के कारण सिट्किक घुमा देने वाले वाहन या विना रेलमेर वाले व्यक्ति को को पुलिस -यलान कार्यी हैं। अनुच्देर 21 में ही निजमा का सिट्किम पर औड़ दिया गया है। साव हमारी गोपनीय जानकारी को केंद्र उनागर नहीं कर सकमा

भवेटन अनुनेहें द २० तथा ११ की भणतकाल के दोड़ान नहीं होका जा सकता क्षतः इसे सक्से आक्रियाली मुल अधिकार कहते हैं।

अनुष्टेर ११(क.) उसे ६ से १४ वर्ष के बचो को विश्वाल प्राथमिक शिक्षा का सिकार हैं। इसे १६ वाँ संभोधन (२००२) दौरा औड़ा गया।

निरोध अधिक्रियम अग अ १८ विस् में इसे चित्र अस्म

गिरकारी से संख्रा (रहा) क्यों हैं।

(1) व्यक्ति को गिरपतार करने से पहले वार्रेट (कारण) बनाना होता है। (11) 24 धीरे के अंदर उसे न्यायलय में सह-अरीर प्रस्तृत किया

अही जिना आता है।

(मा) गिरफ्रार व्यक्ति की अपने पसंद का विकल रखने का अधिकार है।

निर्देश कार्नाहरू ३० के व्यन्तार अब नक विनी वाकी भी नायक

* निवारक विशेष क्षािश्विमम (Privensive petertion)

→ इसकी चर्चा अनुरहेद 22 के IV में हैं। इसका छदेरच किसी

व्यक्ति को समा देना मही बाल्के अपराध करने से शेकना है।

इस कानुन के तहत पुलिस बाकु के आधार पर किसी भी

व्यक्ति को विना कारण बनाये आक्रिक्नम तीन महिने तक

गिरफ्नार या नमर्बद कर सकरी हैं।

* नगरबंद → विसी व्यक्ति को जब समाज से मितने नहीं दिया जाग हैं। तो उसे नजरबंद बस्ते हैं। नजरबंद होटल शावास या जेल कहीं भी है। सकता हैं।

* भारत में प्रमुख निवास बिरोध मिखिनिश्म
(i) निवास विरोध मिखिनिश्म 1950 → शह भारत का पहला निवास निरोध मिखिनिश्म या 31 Dec 1972 में इसे चिक्र व्यास्मा भारत कर दिया गया

(II) MISA (mentinance of 3ntound Security Act) — इरे 1971 में लाग गया किन्तु इसका सर्वाधिक दुरउपयोग हुआ जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया।

distributed for those of use the Hard Hard All Land The

% आयम के जिस्तु आकामार अन् १३-१५

(iii) राष्ट्रीय सुरता कानुन (रासुका) - इसे 1980 में लाया ज्या गर अभी तक लागू हैं। यह वर्तमान में सवसे खतरनाक आद्यिनियम हैं इसके नहत पुलिस इनकाऊंटर कर देने हैं।

(iv) TADAL Terivist and Distructive Activity) - उसे 1985 में लाया गया क्षातंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता द्या। दुरहप्यीन होने के कारण 23 may 1995 में उसे समाप्त कर दिया गया।

कासी के प्राप्त के प्राप्त के निर्मा के निर्मा

मार्थित के किहा है। उसके मार्थित के किहा है। उसी के तहते हैं। उसी के तहते

(V) POTA (Privention of Tessissist Act) -> यह भी सारंद वादी पर लगाया जारा है। इसे 2001 में प्रारंग रहा। 2004 में समाप कर दिया ज्याने * श्रोषण के विरुद्ध भिद्धकार [अनुः 23-24]
अनुद्देद 23 → बालात अम (अब्बदसी अम) तथा वेरीजगारी
(बिना वेम्न) पर रोक लगाया गया | विन्तु राष्ट्रीय युरक्षा के सुदे
पर ब्यात अम या वेगारी कराया जा सब्जा है।

अनुन्दे 24 + 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ख्वारनाड़ काम में नहीं लगाया जा सकता।

* धार्मिक स्वरंत्रता का साधिकार [अनु॰ 25-28] अनुरहेद 25 → क्षंतः करण की चर्चा साधीतः व्यक्तिंत्रतः खार्मिक स्वरंत्रता कि -चर्चा ही इसके तस्त सिखों को कृपाण (स्नवार) भुस्तिमों को दारी हिन्दुमों को टिकी रखने का समीद्रशहा

निष्णक निष्ण नामा वास है हैं

अनुर्हेद २६ → इसमें सामुहिक चार्मिक स्वतंत्रमा है। इसी के तहत यहां , हवन , सड़क पर नमाज पहने कि आनुमर्ग है।

AT PRINCIPION OF TOSISHE ACT) - DE AT BURIET TO

अनुरहेद २२ -) ब्हार्मिक कार्य के लिए या धन पर टेक्स

अनुन्देद 28 → सरकारी द्यान से चल रहे संस्थान मे द्यामिक श्रीक्षा नहीं दि जाएगी)

ILLIE THAT SELE TE

Remodek - संस्कृत एक भाषा है। न कि हिन्ह र्र्धा कि र्द्धार्मिक श्रिक्षा इसी इसी प्रकार ष्ठर्द तथा अरबी एक भाषा है। न कि इस्लाम र्द्धा कि शिक्षा। अतः सरकारी भदरसा अनुन्हेद 28 का उत्तंबन नहीं हैं।

* संस्कृति एवं ब्रीमा संवंधी अधिकार किन् 29-30 अल्परंत्यक

Help phippi Paguralia file

अनुम्हेंद 29 - [♦ अल्प संख्यको की हिनो का संस्वाण] → इसमे अल्पसंख्यको की रहा है। अरि कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के भाषा पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते।

अनुच्हेद 30 -> अल्पसंख्यको का ब्रीमा संख्या। अल्पसंख्यक यदी बहुसंख्यको के बिच मे श्रिमा लेने मै संकोच कर रहा है। तो अल्पसंख्यक अपने पसंद्र कि संख्या खोल सकते हैं। भरकार असे भी खन केती भुन अधिकार या किनु वन मंगित कि न्वर्चा की गई हैं। औं भुन अधिकार या किनु वन में संविधान संशोधन 1948 शरा इसे कानुनी अधिकार बना लिया गया। और अनुन्देद उलका में जोड़ दिया गया।

Remork अभनुष्ट्रेद 19(ण) में अर्जित सम्प्रि की चर्चा है। जब कि

ि मुल भिष्कार को हम से सरकार या जनता कोई नहीं हीन सक्या जब कि कानुनी अन्बीकार की जनता नहीं हिन सकरी किन्दु सरकार हिन सकरी है। इसके लिए सरकार ने भुमि भिन्नाहण किन्नेयक लाया

संवेद्यानिक अपचारी का अविकार भिनु उथ

अनुन्देद 32 → भेविद्यानिक उपवार का अद्योक्तार अनुन्देद 32 को मूल आविकार की मूल आविकार बनाने वाला मुल अद्योकार के मामले वहा जाता है। वयों कि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सिचे सुप्रिम कोर्र जा सकता है। सुप्रिम कोर्र पाँच प्रकार के रिर/धाचिका या समादेश जारी करती है।

बन्दी प्रति प्रमेखर इसका आस्कार वन्दी प्रति प्रमोदेश उत्सेशन आस्कार प्रति प्रमोदेश उत्सेशन आस्कार प्रति प्रमादेश

* बन्दी प्रयमिक्टण (रिवियस कपर्स) अह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवसे वडा रिट है। यह बन्दी ह्याने वाली ह्याबिकारी को यह भादेश देने हैं। कि क उसे २५ घंटे के मितर सह-शारिर न्यालय में प्रस्तृत करें।

- * परमादेश (मैन्डेमस) → इसका छार्च होता है हम आदेश देने हैं। जब कोई सहकारी कर्मचारी अन्हें से काम नहीं करता है। तो असपे यह जारी किया जाता है।
- * अधिकार भ्रम्हा (कोवेरेची) अजव चोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करे कार्र जिसके लिए वह अधिकार मही है। तो असे रोकने के लिए अधिकार भ्रम्हा साता है।

LANGUAT MULLED BORD & PAGE COLUMN TOWN TOWN TOWN

- अनुन्देद 352 (राष्ट्रीय अपात) के दौरान कैवल 20 और श हि ऐसा अनुन्देद हैं। जिसे वैचित नहीं किया जा सक्या
 - * प्रतिषेच (Prohibition) यह उपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है। अब नीचली न्यायालय अपने अपने अधिकारों का उलंबन करके फैसला सुना चुकी रहती है।

* अवा वाहात्रात का में अधिमा अ वाहा जाता में

1915 & DISPORTS TOUS HE WAS IN STUME - 28 33-1-1-2

- * उप्रेमण (धर्मां क्लार्य) -) यह भी उपरी न्यायालय अपने से निचली न्यालय पर तब लानी है। जब निचली न्यायालय अपने संस्कित का उलेंचन करके फेस्ला सुना चुकी रहनी हैं।
- र्शिट अम्बेदकर में अनु, 32 को संविधान कि आत्मा कहा आ।

 रोशेट किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं। -प्रस्तावना

 रोशेट में पांच प्रकाट के रिय को अनुच्हेद 226 के तहत हाई
 कोर्ट भी जारी कर सकता हैं।

अनुरहेद 33→शब्दीय शुरमा के हित में संबंद सेना मिडिया तथा ग्रुप्रचर के मुल अधिकार की सीमित कर सकरी हैं।

अनुरहेद 34 अभारत के किसी भी छीत्र में सेना का कानुन (Marshal Law) लाग किया जा खक्ता हैं। सेना के व्यायात्मय को किसे Court Marshal कहते हैं। सबसे कठोट Marshal law Afspa हैं। Amel forces special power Act)

अनुरहेद उड - भग -3 में दिए गए मुल अखिकाद के लागू होने के विद्यों कि चर्ची

* मूल क्षिकार को म ब्रेठियों में वाय गया है शा किन्तु वर्तमान में होगीया है।

forther to the stop of the sto
1. समानता का शिकार — 18]
2 494741 db) dreib)(
वावण के विवर्ध शिक्षकार - विवर्ध विवर्ध
4 ब्रामिक स्वतंत्र्या का अब्बिकार - 25-28]
 - विद्या एवं संस्कृति का शिक्वार — > [29 - 307]
6 सम्पति का साधिकार — 31 x
7. संवेद्यानिक अपगटका सिद्यकाट -> 32
a some first of the same after the p

नार कर यह में देख

Note → अनुच्हेद 14, [20, 21, 21A], [23, 24], [25-28] - भारतीय

* अनुन्हेद 15,16,19,29 एवं उ० कैवल भारतीयों को मिलता

* ह्याल करना तथा -यक्बा जाम करना मुल अखिकार नही है क्यों कि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अखिकार का हजन हो जाग है।

के खायी अवास तथा भनिवार्य रोजगाट मूल दाखिकाट नहीं है।

* वीर डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है मूल अधिकार नहीं।

* मूले आह्यकार को कुछ समय के लिए शाष्ट्रपती निर्लिवत

* मूल अधिकार की स्थायी छप ये अतिवेधित सेयदं इसी हैं। मूल अधिकार का रखक sc तथा Hc की कहते हैं।